

संयुक्त प्रांत ऋण मोचन अधिनियम, 1940

[उ० प्र० अधिनियम संख्या 13, 1940]

संयुक्त प्रांत ऋण मोचन अधिनियम, 1940

[उ० प्र० अधिनियम संख्या 13, 1940]¹

संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या 6, 1941

संयुक्त प्रांत अधिनियम संख्या 6, 1942

द्वारा संशोधित

कानून अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अनुकूलित और संशोधित

[21 दिसंबर, 1940 को गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त हुई, और 28 दिसंबर, 1940 को संयुक्त प्रांत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया।]¹

कृषकों और कामगारों को ऋणग्रस्तता से और अधिक राहत प्रदान करने के लिए एक अधिनियम।

चूँकि संयुक्त प्रांत में कृषकों और कामगारों को ऋणग्रस्तता से और अधिक राहत प्रदान करना समीचीन है;

और चूँकि भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 93 के अधीन प्रख्यापित, 3 नवम्बर, 1939² की तारीख की उद्घोषणा द्वारा, संयुक्त प्रान्त के गवर्नर ने प्रान्तीय विधानमण्डल में उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन निहित सभी शक्तियाँ अपने हाथ में ले ली हैं;

और चूँकि उक्त उद्घोषणा को लागू रखना संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है;

अब, अतः गवर्नर पूर्वोक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अधिनियम बनाने की कृपा करते हैं;

अधिनियम

अध्याय—1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारंभ

1—(1) इस अधिनियम को संयुक्त प्रान्त ऋण मोचन अधिनियम, 1940 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार³ देहरादून जिले के जौनसार बावर परगना और कैमूर पर्वतमाला के दक्षिण में मिर्जापुर जिले के भाग को छोड़कर सम्पूर्ण [उत्तर प्रदेश]⁴ पर है।

(3) यह उन तारीखों⁵ को लागू होगा, जो गवर्नर, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

1. भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 93 के अंतर्गत जारी उद्घोषणा दिनांकित 3 नवम्बर, 1939 द्वारा ग्रहण की गयी शक्तियों का प्रयोग करते हुए गवर्नर द्वारा यह अधिनियम बनाया गया तथा गजट 1942 भाग 74 पृष्ठ 7-8 में एस.ओ.आर. के साथ प्रकाशित किया गया। इसे यू०पी० अधिनियम 13, 1948 की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा पुनः अधिनियमित और जारी रखा गया था।
2. राजपत्र, दिनांक 3 नवम्बर, 1939 को देखें।
3. यह अधिनियम कैमूर रेंज के दक्षिण में स्थित मिर्जापुर जिले के हिस्से तक विस्तारित किया गया है, नोट संख्या 93/1-134-43, दिनांक 24 अगस्त, 1945 पृ. 1, पृ. 268 देखें। यह अधिनियम रामपुर (विधियों का अनुप्रयोग) अधिनियम, 1950 तथा बनारस और टिहरी गढ़वाल विधियों का अनुप्रयोग) आदेश, 1949 द्वारा क्रमशः विलय किये गये रामपुर, बनारस और टिहरी गढ़वाल राज्यों पर भी लागू किया गया है।
4. संयुक्त प्रान्त के स्थान पर ए.ओ. 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. यह अधिनियम 1 जनवरी, 1941 को लागू हुआ, अधिसूचना संख्या 158 (11/1-39, 13 दिसम्बर, 1940, राजपत्र में 28 दिसम्बर, 1940, भाग 1, पृ. 822 में प्रकाशित) देखें।

व्याख्या

2—इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो

(1) निम्नलिखित उपधारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संयुक्त प्रांत भूमि राजस्व अधिनियम, 1901 या संयुक्त प्रांत काश्तकारी अधिनियम, 1939 में परिभाषित या स्पष्ट किए गए सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें उसमें निर्दिष्ट किया गया है;

(2) "कृषि उपज" का अर्थ है किसी कृषक द्वारा उसके या उसके सेवकों द्वारा या उसके द्वारा लगान पर लिए गए श्रम द्वारा उगाई गई कृषि उपज और इसमें खड़ी या इकट्ठी फसलें तथा वृक्षों और पौधों के फल और फूल शामिल हैं;

(3) "कृषक" का अर्थ है किसी महल का स्वामी या महल में हिस्सा या भाग का स्वामी या काश्तकार;

बशर्ते कि कोई भी ऐसा स्वामी या काश्तकार कृषक नहीं समझा जाएगा यदि—

(क) उसके द्वारा देय लगान, यदि कोई हो, और स्थानीय रेट, यदि कोई हो, के दस गुने का योग एक हजार रुपए से अधिक है,

(ख) उस पर भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के अधीन या किसी भारतीय राज्य के आयकर कानून के अधीन आयकर लगाया जाता है;

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति केवल इस कारण से स्वामी या काश्तकार नहीं समझा जाएगा कि उसने 1 जून, 1940 के पश्चात उत्तराधिकार या उत्तरजीविता के अलावा अन्य किसी प्रकार से स्वामित्व या काश्तकारी अधिकार अर्जित कर लिए हैं।

स्पष्टीकरण I—जहां किसी स्वामी या काश्तकार का भूमि में कोई स्थायी हित है, किंतु वह अस्थायी अंतरण के कारण उस भूमि के संबंध में देय लगान या स्थानीय रेट का भुगतान फिलहाल नहीं करता है, वहां ऐसा लगान या स्थानीय रेट इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए उसके द्वारा देय समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण II—यदि कृषि उपज के मूल्य में गिरावट के कारण किसी स्वामी द्वारा देय भूमि राजस्व में या किसी काश्तकार द्वारा देय किराए में अस्थायी छूट दी गई है, तो ऐसे स्वामी द्वारा देय स्थानीय रेट, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, भूमि राजस्व के समान अनुपात में कम हुई समझी जाएगी और ऐसे काश्तकार द्वारा देय लगान, लगान में ऐसी अस्थायी छूट द्वारा कम किया गया लगान समझा जाएगा।

(4) "बैंक" का अर्थ है ऐसी कंपनी जो बैंकिंग का व्यवसाय करती है और जो जून, 1940 के पहले, कंपनियों से संबंधित किसी भी अधिनियम के तहत पंजीकृत थी जो [भारत में या]¹ यूनाइटेड किंगडम में या उसके किसी उपनिवेश या आश्रित क्षेत्र में [* * *]² समय में लागू थी या संसद के अधिनियम [यूनाइटेड किंगडम के]³ या रॉयल चार्टर या लेटर्स पेटेंट या [केंद्रीय अधिनियम]⁴ द्वारा निगमित थी;

(5) "सहकारी समिति" का अर्थ सहकारी समिति अधिनियम, 1912 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत या पंजीकृत मानी जाने वाली समिति है;

(6) "डिक्री जिस पर यह अधिनियम लागू होता है" का अर्थ है इस अधिनियम के लागू होने से पहले या बाद में किसी ऐसे मुकदमे में पारित डिक्री जिस पर यह अधिनियम लागू होता है;

1. ए० ओ०, 1950 द्वारा अंतःस्थापित।

2. (ब्रिटिश भारत या किसी भारतीय राज्य में) शब्दों को उपरोक्त द्वारा हटाया गया।

3. उपरोक्त द्वारा अंतःस्थापित।

4. उपरोक्त द्वारा प्रतिस्थापित।

(7) "ब्याज" का अर्थ है वास्तव में अग्रिम दी गई राशि से अधिक दिया जाने वाला प्रतिफल, चाहे उसे ब्याज या उपभोग या दी जाने वाली सेवा या अन्यथा के रूप में विशेष रूप से वसूल किया जाए या वसूल किया जाए;

(8) "भूमि" का अर्थ है 1[उत्तर प्रदेश] में किसी महल में भूमि, किन्तु इसमें भवनों द्वारा अधिगृहीत या उससे अनुलग्न भूमि या किसी नगर पालिका, छावनी या अधिसूचित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर की भूमि शामिल नहीं है;

(9) "ऋण" का अर्थ है नकद या वस्तु के रूप में पहली जून, 1940 से पहले दिया गया अग्रिम; किसी कृषक या कर्मकार से या ऐसे किसी व्यक्ति और अन्य व्यक्तियों से संयुक्त रूप से या कृषक या कर्मकार की संपत्ति से वसूल किया जा सकने वाला और इसमें ऐसा कोई लेन-देन शामिल है जो सारतः ऐसे अग्रिम के बराबर है, किन्तु इसमें ऐसा अग्रिम शामिल नहीं है जिसके भुगतान का दायित्व उधारकर्ता या उसके उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारी के साथ अनुबंध द्वारा या डिक्री के निष्पादन में बिक्री द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया गया है या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा या 2[राज्य सरकार] द्वारा अग्रिम देने के लिए अधिकृत किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी सहकारी समिति द्वारा या किसी अनुसूचित बैंक द्वारा दिया गया अग्रिम; बशर्ते कि किसी कृषक से या किसी कृषक और अन्य व्यक्तियों से संयुक्त रूप से वसूल किया जा सकने वाला अग्रिम इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऋण नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसा अग्रिम किसी कृषक को या किसी कृषक और अन्य व्यक्तियों को संयुक्त रूप से न दिया गया हो।

3[(10) "स्थानीय रेट" का तात्पर्य उस रेट से है, जो संयुक्त प्रांत स्थानीय रेट अधिनियम, 1914 के अधीन, उत्तराधिकार और हस्तांतरणीय अधिकार रखने वाले कृषक द्वारा देय है या उससे वसूल की जा सकती है],

(11) "निर्धारित" का तात्पर्य इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित है;

(12) "मूलधन" का तात्पर्य मूल रूप से अग्रिम दी गई राशि से है;

(13) "स्वामी" में वरिष्ठ स्वामी और निम्न स्वामी शामिल हैं, किन्तु इसमें बंधककर्ता या आगरा में वरिष्ठ स्वामी शामिल नहीं है, जिस पर संयुक्त प्रांत भूमि राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 77 के प्रावधान लागू होते हैं;

(14) "लगान" में सायर शामिल नहीं है;

(15) "अनुसूचित बैंक" का तात्पर्य भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में इस अधिनियम के प्रारंभ में सम्मिलित किसी बैंक से है;

(16) "सुरक्षित ऋण" का तात्पर्य ऐसे ऋण से है, जिसका पुनर्भुगतान किसी विशिष्ट संपत्ति के बंधक या उस पर प्रभार या प्रतिज्ञा द्वारा सुरक्षित किया गया हो;

(17) "वाद जिस पर यह अधिनियम लागू होता है" का तात्पर्य किसी ऋण से संबंधित किसी वाद या कार्यवाही से है, किन्तु इसमें संयुक्त प्रांत भारग्रस्त संपदा अधिनियम, 1934 के उपबंधों के अंतर्गत कार्यवाही शामिल नहीं है;

(18) "काश्तकार" में संयुक्त प्रांत भूमि राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 32 के खंड (ख) या खंड (ग) के उपबंधों के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में दर्ज व्यक्ति, अनुकूल लगान की रेट पर लगान मुक्त अनुदानकर्ता और उप-काश्तकार शामिल हैं, किन्तु इसमें बाग धारक या ठेकेदार शामिल नहीं है;

1. ए.ओ. 1950 (संयुक्त प्रांत) द्वारा प्रतिस्थापित।

2. ए.ओ. 1950 द्वारा (प्रांतीय सरकार) के लिए प्रतिस्थापित।

3. धारा 12 द्वारा प्रतिस्थापित गर्वनर द्वारा जी. ऑफ आई. एक्ट, 1935 की धारा 93 के अधीन ग्रहण की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1942 के उत्तर प्रदेश अधिनियम VI की धारा 2 के अधीन निम्नलिखित के लिए बनाया गया:

(10) "स्थानीय रेट" का अर्थ है उत्तर प्रदेश स्थानीय रेट अधिनियम, 1914 के उपबंधों के अधीन स्वामी द्वारा देय या उससे वसूल की जाने वाली रेट। इसे उत्तर प्रदेश अधिनियम 13, 1948 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा पुनः अधिनियमित और जारी रखा गया।

(19) "असुरक्षित ऋण" का अर्थ है ऐसा ऋण जो सुरक्षित ऋण नहीं है;

(20) "कर्मकार" का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो स्वामी या काश्तकार नहीं है और

(क) जिसने मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा 2 की उपधारा (vi) के अर्थ में, जून, 1940 के प्रथम दिन से पूर्व के बारह महीनों के भीतर मजदूरी अर्जित की है, जो उक्त बारह महीनों में 600 रुपये से अधिक नहीं थी और किसी ऐसे महीने में 60 रुपये से अधिक नहीं थी, या

(ख) जो सामान्यतः किसी नगर पालिका, छावनी या अधिसूचित क्षेत्र में नहीं रहता है और जो प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट वर्गों में से किसी एक से संबंधित है।

स्पष्टीकरण

3—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए —

(क) अग्रिम से संबंधित किसी कार्यवाही में, जो इस अधिनियम के लागू होने या उसके पश्चात् संस्थित किए जाने के समय लंबित है, ऋणी की स्थिति, जो ऐसी कार्यवाही का पक्षकार है, वह स्थिति मानी जाएगी जो अधिनियम के प्रारंभ होने पर या कार्यवाही संस्थित किए जाने की तिथि को, जैसी भी स्थिति हो, उसकी थी;

(ख) वह लगान जो फसल की विफलता के कारण पूर्णतः या आंशिक रूप से माफ या निलम्बित किया गया है, उस वर्ष में देय माना जाएगा जिसमें उसे माफ या निलम्बित किया गया था;

(ग) वह स्थानीय रेट जिसके संबंध में संयुक्त प्रांत स्थानीय रेट अधिनियम, 1914 की धारा 15 के उपबंधों के अधीन छूट की अधिसूचना जारी की गई है, देय मानी जाएगी;

(घ) संयुक्त स्वामी या संयुक्त काश्तकार संयुक्त संपत्ति या संयुक्त काश्तकारी के उस हिस्से का स्वामी या काश्तकार समझा जाएगा, जो संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति या काश्तकारी न हो, जो उसके हिस्से से संबंधित हो;

(ङ) जहां किसी संयुक्त हिंदू परिवार द्वारा देय लगान और स्थानीय रेट के दस गुने का योग, यदि कोई हो,

(i) एक हजार रुपये से अधिक नहीं है, ऐसा परिवार और उसका प्रत्येक सदस्य कृषक समझा जाएगा;

(ii) एक हजार रुपये से अधिक है, ऐसे परिवार का कोई सदस्य केवल तभी कृषक समझा जाएगा, जब संयुक्त परिवार की संपत्ति में उसके हिस्से और उसके पुरुष वंशजों और पूर्वजों के हिस्से के संबंध में देय लगान और स्थानीय रेट के दस गुने का योग एक हजार रुपये से अधिक नहीं है:

बशर्ते कि कोई संयुक्त परिवार और उसका प्रत्येक सदस्य कृषक नहीं माना जाएगा; हिंदू परिवार या उसका कोई सदस्य कृषक माना जाएगा यदि ऐसा परिवार या सदस्य आयकर के दायरे में आता है, या ऐसे परिवार के सदस्य के मामले में यदि ऐसे सदस्य के हिस्से और संयुक्त परिवार की संपत्ति में उसके पुरुष पूर्वजों और वंशजों के हिस्से और उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति, यदि कोई हो, के संबंध में देय लगान और स्थानीय रेट के दस गुने का योग एक हजार रुपये से अधिक है;

(च) किसी कृषक या कर्मकार और किसी अन्य व्यक्ति से संयुक्त रूप से ऋण नहीं माना जाएगा यदि ऐसे ऋण के संबंध में ऐसे अन्य व्यक्ति का दायित्व निश्चित रूप से देनदार का है और ऐसा व्यक्ति और ऐसा कृषक या कर्मकार संयुक्त ऋणी नहीं माना जाएगा। ऐसे मामले जिनमें अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

ऐसे मामले जिनमें अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे

4—(1) इस अधिनियम के प्रावधान किसी कृषक से ऋण की वसूली के लिए किसी मुकदमे पर लागू नहीं होंगे, जहां ऋणदाता उप-धारा (2) के प्रावधानों के अनुसार घोषणा करता है कि यदि दावे के पूरे या हिस्से के लिए उसके पक्ष में डिक्री पारित की जाती है तो ऐसी डिक्री ऐसे कृषक की भूमि, कृषि उपज या व्यक्ति के खिलाफ निष्पादित नहीं की जाएगी।

(2) उप-धारा (1) में उल्लिखित घोषणा इस अधिनियम के प्रारंभ में लंबित किसी मुकदमे के मामले में, मुकदमे के निर्णय से पहले किसी भी समय की जाएगी और इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद संस्थित किसी मुकदमे के मामले में, वादपत्र में की जाएगी।

(3) किसी कृषक से वसूली योग्य कोई डिक्री इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संशोधित नहीं की जाएगी यदि ऋणदाता यह घोषित करता है कि ऐसी डिक्री ऐसे कृषक की भूमि, कृषि उपज या व्यक्ति के विरुद्ध निष्पादित नहीं की जाएगी:

बशर्ते कि ऐसी कोई घोषणा किसी कृषक से वसूली योग्य ऋण से संबंधित किसी वाद या कार्यवाही में नहीं की जाएगी जो धारा 2 की उपधारा 20 के खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट वर्गों में से किसी एक से संबंधित हो;

इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि जहां इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात निर्णीत किसी वाद में ऋणदाता को उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित घोषणा करने का अवसर मिला हो, वहां ऐसे वाद में ऋणदाता द्वारा प्राप्त डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही में डिक्री धारक द्वारा उपधारा (3) के अधीन कोई घोषणा नहीं की जाएगी;

यह भी प्रावधान है कि उपधारा (3) के अधीन कोई घोषणा नहीं की जाएगी, जहां ऋणदाता ने ऐसे कृषक की भूमि, कृषि उपज या व्यक्ति के विरुद्ध निष्पादन के लिए पहले ही आवेदन कर दिया है।

(4) जहां इस धारा के उपबंधों के अधीन कोई घोषणा की गई है, वहां उस कृषक की भूमि, कृषि उपज या व्यक्ति के विरुद्ध, जिसके संबंध में घोषणा की गई थी या उसके उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारी के विरुद्ध डिक्री के निष्पादन के लिए कोई आदेश नहीं दिया जाएगा और न्यायालय डिक्री में इस आशय का निर्देश दर्ज करेगा।

अध्याय—II

ऋण संबंधी वाद और डिक्री

पृथक सुनवाई

5—जहां ऋण के संबंध में और नकद या वस्तु के रूप में प्रथम जून, 1940 को या उसके पश्चात दिए गए अग्रिम के संबंध में वाद के कारणों को एक वाद में शामिल कर दिया गया है, वहां न्यायालय ऐसे ऋण पर आधारित दावे के संबंध में और ऐसे अग्रिम पर आधारित दावे के संबंध में अलग-अलग सुनवाई का आदेश देगा।

वादों का प्रारूप

6—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक वाद, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, ऐसे न्यायालय में संस्थित किया जाएगा, जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर—

(क) प्रतिवादी या, यदि एक से अधिक हैं, तो प्रतिवादियों में से कोई भी सामान्यतः निवास करता है; या

(ख) यदि प्रतिवादी या, यदि एक से अधिक हैं, तो सभी प्रतिवादी उत्तर प्रदेश की सीमाओं के बाहर निवास करते हैं।¹

(i) प्रतिवादी या, यदि एक से अधिक हैं, तो प्रतिवादियों में से किसी की जोत या भूमि स्थित है; या

(ii) प्रतिवादी या, यदि एक से अधिक हैं, तो प्रतिवादियों में से कोई भी ऐसा व्यापार या पेशा करता है, जिसके कारण वह कर्मकार है।

1. (संयुक्त प्रांत) के लिए ए.ओ. 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।

ऋणी का वाद
लाने का
अधिकार

7—किसी संविदा की शर्तों के होते हुए भी, किसी ऋण के देय होने की तिथि या तिथियों के बारे में, कोई वाद जिस पर यह अधिनियम किसी बंधक के मोचन या खातों के लिए लागू होता है, किसी ऋणी द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात किसी भी समय संस्थित किया जा सकता है।

डिक्री का
संशोधन

8—किसी डिक्री या किसी कानून के प्रावधानों के होते हुए भी, कोई कृषक या कर्मकार जो इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व पारित डिक्री के अंतर्गत देय राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, उस सिविल न्यायालय में, जिसने डिक्री पारित की है या जिसके पास डिक्री का निष्पादन स्थानांतरित किया गया है, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसके अंतर्गत देय राशि में कटौती करके डिक्री में संशोधन के लिए आवेदन कर सकता है, और ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर न्यायालय, विरोधी पक्ष को नोटिस देने के पश्चात, आवेदक से धारा 9 और 10 के प्रावधानों के अनुसार देय राशि की गणना करेगा और तदनुसार डिक्री में संशोधन करेगा।

परन्तु यदि डिक्री [उत्तर प्रदेश]¹ के बाहर किसी न्यायालय द्वारा पारित की गई है, तो उसे निर्णीत-ऋणी की भूमि या कृषि उपज या व्यक्ति के विरुद्ध तब तक निष्पादित नहीं किया जाएगा, जब तक कि डिक्रीधारक इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार डिक्री में संशोधन के लिए सहमत न हो जाए।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन संशोधित डिक्री पर मूल डिक्री की तारीख अंकित मानी जाएगी।

(3) इस धारा के प्रावधानों के तहत डिक्री को संशोधित करने में न्यायालय उन निष्कर्षों को स्वीकार करेगा जिन पर डिक्री आधारित थी, सिवाय इसके कि वे धारा 9 के प्रावधानों के साथ असंगत हैं।

राजस्व की राशि
का लेखा और
निर्धारण

9—(1) ऐसे मुकदमे में, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है या धारा 8 के प्रावधानों के तहत डिक्री को संशोधित करने में, न्यायालय, किसी भी कानून, डिक्री या अनुबंध में या आंशिक लेनदेन को बंद करने के लिए तात्पर्यित किसी भी समझौते में इसके विपरीत कुछ भी होने पर भी, मूलधन का निर्धारण करेगा और देनदार द्वारा या उसकी ओर से भुगतान की गई सभी राशियों को और कब्जे के साथ बंधक के मामले में, बंधकदार द्वारा प्राप्त शुद्ध लाभ या जो उसके द्वारा साधारण परिश्रम के साथ प्राप्त किया जा सकता था, को ध्यान में रखेगा और निम्नलिखित उप-धाराओं के प्रावधानों के अनुसार देनदार द्वारा देय राशि, यदि कोई हो, का निर्धारण करेगा:

बशर्ते कि मूलधन का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए, न्यायालय किसी भी संचित ब्याज को मूलधन के रूप में मानेगा, 1 जनवरी, 1917 से पहले लेन-देन के दौरान, लेकिन किसी भी संचित ब्याज को ब्याज के रूप में माना जाएगा जो उस तारीख को या उसके बाद किए गए किसी भी ऐसे बयान, निपटान या अनुबंध में पूर्वोक्त रूप में परिवर्तित हो गया है।

(2) देनदार द्वारा देय राशि उस राशि से अधिक नहीं होगी जो देय होती अगर ब्याज की रेट, सुरक्षित ऋण के मामले में, साढ़े चार प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज होती, और असुरक्षित ऋण के मामले में छह प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज होती।

(3) देनदार द्वारा ब्याज के रूप में देय राशि उस तारीख को बकाया मूल राशि से अधिक नहीं होगी जिस तारीख को देनदार द्वारा देय राशि निर्धारित की जाती है।

(4) इस खंड में कुछ भी देनदार को उसके द्वारा पहले से भुगतान की गई किसी भी राशि की वापसी का हकदार नहीं बनाता है।

डिक्रियों पर ब्याज
की रेट

10—(1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 34 में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय किसी डिक्री में, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है या किसी डिक्री में, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संशोधित की गई है, न्यायनिर्णित कुल राशि पर तीन प्रतिशत प्रति वर्ष साधारण ब्याज से अधिक रेट पर भावी ब्याज का आदेश नहीं देगा।

(2) यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संशोधित की जाने वाली डिक्ली में डिक्ली पारित करने वाले न्यायालय द्वारा भावी ब्याज की उच्चतर रेट अनुज्ञात की गई है तो ऐसी रेट डिक्ली की तारीख से उपधारा (1) के उपबंधों द्वारा अनुज्ञात रेट तक घटा दी जाएगी और डिक्ली को तदनुसार संशोधित किया जाएगा।

(3) जब धारा 17 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन बंधक प्रदान करके डिक्ली निष्पादित की जाती है, तब डिक्ली में भिन्न रेट के होते हुए भी, ब्याज की रेट उस तारीख से, जब ऐसा बंधक प्रदान किया जाता है, तीन प्रतिशत प्रति वर्ष मानी जाएगी।

ऋण का प्रभाजन

11—कई व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से देय ऋण से संबंधित किसी कार्यवाही में, जिनमें से कोई कृषक या कर्मकार है, न्यायालय ऋण को संयुक्त देनदारों के बीच प्रभाजित करेगा और इस अधिनियम के उपबंध ऋण के केवल उस भाग पर लागू होंगे, जो संयुक्त देनदार को प्रभाजित किया जाता है, जो कृषक या कर्मकार है।

जमानतदारों के विरुद्ध वाद

12—इस अधिनियम की कोई बात, ऋणी के साथ संयुक्त रूप से या पृथक रूप से, जैसी भी स्थिति हो, जमानतदार के विरुद्ध ऋण वसूली के लिए वाद संस्थित करने से नहीं रोकेगी, किन्तु ऐसे वाद में जमानतदार के विरुद्ध उस राशि से अधिक के लिए कोई डिक्ली पारित नहीं की जाएगी, जिसके लिए उस कृषक या कर्मकार के विरुद्ध डिक्ली पारित की जाती, जिससे ऋण वसूली योग्य है।

अध्याय—III

डिक्ली का निष्पादन

छूट और विस्तार

13—(1) इस अध्याय के उपबंध बैंक द्वारा दिए गए ऋण पर आधारित डिक्ली के निष्पादन पर लागू नहीं होंगे।

(2) धारा 16 और 17 के उपबंध कुमाऊं मंडल की पर्वतीय पट्टियों पर लागू नहीं होंगे।

(3) जिन क्षेत्रों में बुंदेलखंड भूमि हस्तांतरण अधिनियम, 1903, धारा 16 से (18)¹ के उपबंधों का विस्तार करता है, वे किसी जनजाति के सदस्य की भूमि पर लागू नहीं होंगे, जो उस अधिनियम की धारा 4 के अधीन जारी अधिसूचना के आधार पर उस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए कृषक जनजाति समझी जाती है।

2[परंतु ऐसे क्षेत्र में ऐसी जनजाति का कोई सदस्य, जिसने संयुक्त प्रांत भारग्रस्त संपदा अधिनियम, 1934 की धारा 4 के अधीन आवेदन किया है, उस अधिनियम की धारा 39 के उपबंधों के होते हुए भी, धारा 19 के लाभ का हकदार होगा, मानो यह उपधारा उसकी भूमि पर धारा 17 के उपबंधों के लागू होने पर रोक नहीं लगाती।]

(4) धारा 16 से 19 के प्रयोजनों के लिए "कृषक", "ऋण" और "डिक्ली, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है" पदों की व्याख्या इस प्रकार की जाएगी, मानो धारा 2 की उपधारा (3) का पहला परंतुक हटा दिया गया हो।

कृषि उपज की कुर्की प्रतिबंधित

14—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में किसी बात के होते हुए भी, किसी निर्णीत-ऋणी की कृषि उपज का एक-तिहाई से अधिक भाग किसी डिक्ली या डिक्लीज़ के निष्पादन में कुर्की के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है।

कृषि उपज के विरुद्ध डिक्ली के निष्पादन की सीमा

15—(1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के लागू होने से पहले पारित ऐसे डिक्ली के मामले में, ऐसे प्रारंभ की तारीख से, और इस अधिनियम के शुरु होने के बाद पारित ऐसे डिक्ली के मामले में, डिक्ली की तारीख से, या जहां

1. गर्वनर द्वारा जी.आई. अधिनियम, 1935 की धारा 93 के अधीन ग्रहण की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए यू.पी. अधिनियम VI, 1941 की धारा 2 (ए) द्वारा '19' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. पूर्वोक्त धारा 3.2 (बी) द्वारा जोड़ा गया।

डिक्री किसी निश्चित तारीख को या आवर्ती अंतराल पर धन का भुगतान करने का निर्देश देती है, उस भुगतान को करने में चूक की तारीख से जिसके संबंध में डिक्रीधारक डिक्री को निष्पादित करना चाहता है :

बशर्ते इस उपधारा की कोई भी बात किसी डिक्री के निष्पादन को अधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, किसी निर्णीत-ऋणी की कृषि उपज के खिलाफ यदि ऐसा निष्पादन संयुक्त प्रांत¹ कृषक राहत अधिनियम, 1934 की धारा 6 के प्रावधानों द्वारा वर्जित होता, यदि उक्त धारा ऐसे निष्पादन की तारीख को लागू होती।

(2) इस धारा की कोई बात डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन की सीमा अवधि को बढ़ाने वाली नहीं समझी जाएगी।

भूमि के विरुद्ध
डिक्री का
निष्पादन

16—(1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का अधिनियम 5 में किसी बात के होते हुए भी जब किसी कृषक की भूमि को किसी डिक्री के निष्पादन में बेचा जाना चाहा जाता है, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, तो डिक्री निष्पादित करने वाला न्यायालय निम्नलिखित उप-धाराओं के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करेगा:

बशर्ते कि यदि किसी भी समय इस धारा के प्रावधानों के अनुसार ऐसी भूमि को हस्तांतरित करने से पहले, ऐसा कृषक डिक्री निष्पादित करने वाले न्यायालय को लिखित रूप से आवेदन करता है कि वह भूमि को बेचने की इच्छा रखता है, तो न्यायालय इसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के अनुसार बेचेगा।

(2) जहां ऐसा डिक्री जनवरी, 1931 के पहले किए गए ऋण पर आधारित है, या जहां यह लेनदेन की एक श्रृंखला पर आधारित है, जिनमें से कोई भी उस तारीख से पहले हुआ था, न्यायालय, [राज्य सरकार]¹ द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कृषि वर्ष 1337 फसली में और कृषि वर्ष में जिसमें डिक्री को बिक्री द्वारा निष्पादित किया जाना चाहा जाता है, ऐसी भूमि का वार्षिक मूल्य निर्धारित करेगा और इन वार्षिक मूल्यों में से प्रत्येक का मूल्य निर्धारित गुणक से अधिक होगा।

(3) किसी अन्य डिक्री के मामले में, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, न्यायालय (राज्य सरकार) द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उस वर्ष में ऐसी भूमि का वार्षिक मूल्य निर्धारित करेगा जिसमें डिक्री को बिक्री द्वारा निष्पादित किया जाना है और वार्षिक मूल्यों को निर्धारित गुणक से गुणा करके ऐसी भूमि का मूल्य परिकलित करेगा।

(4) यदि इस प्रकार निर्धारित मूल्य किसी पूर्ववर्ती भार की आनुपातिक राशि के साथ ऐसी डिक्री की राशि से कम या बराबर है, तो न्यायालय ऐसी भूमि को डिक्रीधारक को हस्तांतरित कर देगा।

(5) यदि इस प्रकार निर्धारित मूल्य किसी पूर्व भार की आनुपातिक राशि सहित ऐसी डिक्री की राशि से अधिक है, तो न्यायालय ऐसी भूमि के उस भाग का निर्धारण करेगा जिसका मूल्य उपधारा (2) या उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार निर्धारित किया गया है और जो डिक्री की राशि तथा ऐसे पूर्व भार की आनुपातिक राशि के बराबर है तथा ऐसे भाग को डिक्री-धारक को हस्तांतरित कर देगा।

(6) जब भूमि इस धारा के उपबंधों के अधीन इस प्रकार हस्तांतरित की जाती है, तो डिक्री इस धारा के उपबंधों के अधीन निर्धारित भूमि के मूल्य तक संतुष्ट मानी जाएगी तथा ऐसी भूमि में कृषक के सभी अधिकार डिक्री-धारक को बेचे गए माने जाएंगे।

बिक्री या अंतरण
से कुछ भूमि का
संरक्षण

17—(1) धारा 16 या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में किसी बात के होते हुए भी

(क) किसी कृषक की भूमि, जिसका स्थानीय रेट जिसके द्वारा देय है या जिससे वसूल किया जा सकता है, पच्चीस रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, किसी डिक्री के निष्पादन में बेची या अन्यथा हस्तांतरित नहीं की जाएगी, जिस पर यह

1. प्रांतीय सरकार के लिए ए.ओ. 1950 द्वारा प्रतिस्थापित।

अधिनियम लागू होता है, न ही ऐसी भूमि के संबंध में फौजदारी के लिए अंतिम डिक्री पारित की जाएगी, और

(ख) किसी अन्य कृषक के मामले में

(i) उसकी केवल उतनी भूमि बेची या अन्यथा हस्तांतरित की जा सकेगी, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है; या

(ii) फौजदारी के लिए अंतिम डिक्री उसकी भूमि के केवल उतने भाग के संबंध में पारित की जा सकेगी, जितनी ऐसी बिक्री या हस्तांतरण या फौजदारी के पश्चात उसके पास ऐसी भूमि बचेगी जिसके संबंध में देय स्थानीय रेट कम से कम पच्चीस रुपये प्रति वर्ष होगी

बशर्ते कि बनारस मंडल और आजमगढ़ जिले के स्थायी रूप से बसे क्षेत्रों में कृषक की भूमि पर स्थानीय रेट, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उस पर वास्तव में देय स्थानीय रेट से दुगुनी समझी जाएगी;

1[यह और भी बशर्त है कि अवधि में किसी अवर-स्वामी से वसूली योग्य स्थानीय रेट, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उस रूप में वरिष्ठ-स्वामी द्वारा देय स्थानीय रेट समझी जाएगी],;

बशर्ते कि न्यायालय डिक्रीधारक को ऐसी भूमि का, जो इस धारा के उपबंधों द्वारा बिक्री, अंतरण या फौजदारी से संरक्षित है, अधिकतम बीस वर्ष की अवधि के लिए स्व-परिसमापक उपभोक्ता बंधक प्रदान करके डिक्री निष्पादित कर सकता है, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है;

यह 2[भी] प्रावधान है कि जब इस धारा के प्रावधानों के तहत बंधक प्रदान किया गया है तो उसी भूमि को किसी अन्य डिक्री के निष्पादन में बंधक नहीं रखा जाएगा, जिस पर यह अधिनियम उसी ऋणी या उसके उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारी के विरुद्ध लागू होता है, यदि बंधक की अवधि पिछले बंधक या बंधकों की अवधि या शर्तों के साथ बीस वर्ष से अधिक हो जाती है।

(2) उप-धारा (1) के दूसरे प्रावधान के तहत दिए गए बंधक का प्रारूप, नियम और शर्तें तथा ऐसे बंधक के मोचन के लिए किसी भी समय ऋणी द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ऐसी होगी, जैसी निर्धारित की जा सकती है।

प्रक्रिया जहां कई डिक्रियों को एक साथ निष्पादित किया जाता है

18—जहां कई व्यक्ति, जिनके पास ऐसी डिक्री है, जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, न्यायालय से धारा 17 के तहत बंधक प्रदान करने से पहले, उस धारा के तहत संरक्षित भूमि के बंधक के अनुदान द्वारा अपनी डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करते हैं, तो न्यायालय, उस धारा के प्रावधानों के अधीन, डिक्री के निष्पादन में निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करेगा।

(क) यदि कोई ऐसा आदेश किसी ऐसे ऋण पर आधारित है जिसका भुगतान पहले से ही इस प्रकार संरक्षित भूमि के सम्पूर्ण या भाग के बंधक द्वारा सुरक्षित है (जिसे इसके पश्चात सुरक्षित आदेश कहा गया है) तो ऐसे आदेश के धारक को पहले उसके पास पहले से बंधक रखी गई संरक्षित भूमि का बंधक प्रदान किया जाएगा, तथा असुरक्षित ऋण (जिसे इसके पश्चात असुरक्षित आदेश कहा गया है) पर आधारित आदेश के धारक को शेष संरक्षित भूमि, यदि कोई हो, का बंधक प्रदान किया जाएगा।

(ख) जहां एक से अधिक सुरक्षित आदेश हैं तथा असुरक्षित आदेश भी हैं

1. गवर्नर द्वारा 1935 के अधिनियम जी की धारा 93 के अधीन ग्रहण की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाया गया उत्तर प्रदेश अधिनियम VI, 1942 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित। इसे उत्तर प्रदेश अधिनियम गप्प, 1948 द्वारा पुनः अधिनियमित और जारी रखा गया।
2. उपरोक्त द्वारा आगे के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(i) तथा संरक्षित भूमि के विभिन्न भाग सुरक्षित आदेशों में बंधक रखे गए हैं, वहां प्रत्येक ऐसे आदेश के धारक को उस भाग का बंधक प्रदान किया जाएगा जो पहले से ही उसके पास बंधक रखा गया है;

(ii) तथा एक ही संरक्षित भूमि एक से अधिक आदेशों में बंधक रखी गई है, ऐसे आदेशों के धारकों को उनकी प्राथमिकता के क्रम में बंधक प्रदान किए जाएंगे;

(iii) और यदि उप-खण्ड (i) और (ii) के अन्तर्गत बंधक प्रदान करने के पश्चात् कोई संरक्षित भूमि ऐसे बंधक से मुक्त रहती है, तो असुरक्षित डिक्री धारकों को उसे बंधक प्रदान किया जाएगा।

(ग) असुरक्षित डिक्री धारक व्यक्तियों की भाँति, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को भूमि के कर योग्य अंशों का बंधक एक साथ ऐसी रीति से प्रदान किया जाएगा, जैसा कि विहित किया जा सकता है।

उपरोक्त ऋणग्रस्त सम्पदा अधिनियम, 1934 पर लागू होना।

19—किसी कृषक की भूमि, जो धारा 17 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के उपबन्धों के अनुसार, किसी डिक्री के निष्पादन में, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, विक्रय से सुरक्षित होगी, संयुक्त प्रान्त ऋणग्रस्त सम्पदा अधिनियम, 1934 के अन्तर्गत कार्यवाही में उस अधिनियम में परिभाषित संरक्षित भूमि समझी जाएगी।

डिक्री के निष्पादन में उनकी देनदारों की संपत्ति के हस्तांतरण या बंधक के मामलों में, जैसा भी मामला हो, न्यायालय द्वारा हस्तांतरण या बंधक के प्रमाण पत्र दिया जायगा।

20—(1) जब धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार भूमि हस्तांतरित की जाती है, तो ऐसा हस्तांतरण भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 89 के प्रयोजनों के लिए अचल संपत्ति की बिक्री माना जाएगा। न्यायालय हस्तांतरण का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा, जिसके लिए डिक्रीधारक इस प्रकार हस्तांतरित भूमि के मूल्यांकन के अनुसार स्टाम्प शुल्क का भुगतान करेगा।

(2) जब धारा 17 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रावधानों के तहत बंधक के अनुदान द्वारा डिक्री निष्पादित की जाती है, तो न्यायालय ऐसे विवरणों के साथ बंधक का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है और भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 89 की उपधारा (2) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा, जैसे कि ऐसा प्रमाण पत्र अचल संपत्ति की बिक्री का प्रमाण पत्र था और पंजीकरण अधिकारी प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि अपनी पुस्तक संख्या 1 में दर्ज करेगा। बंधक का ऐसा प्रमाण पत्र स्टाम्प शुल्क से मुक्त होगा।

बंधक संपत्ति की बिक्री से संतुष्ट होने वाली पहली बंधक के आधार पर डिक्री

21—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची के आदेश 34 के नियम 6 या नियम 8-क में किसी बात के होते हुए भी, जहां प्रथम बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण पर आधारित किसी मुकदमे में बिक्री के लिए डिक्री निष्पादित की गई है और बंधक संपत्ति की बिक्री की शुद्ध आय वादी या प्रतिवादी को देय राशि का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त पाई जाती है, जैसा भी मामला हो, ऐसे वादी या प्रतिवादी को देय शेष राशि के लिए कोई डिक्री पारित नहीं की जाएगी, और यदि इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले ऐसी शेष राशि के लिए कोई डिक्री पारित की गई है, तो उसे संतुष्ट माना जाएगा।

बिक्री से संरक्षित वृक्ष

22—कोई भी डिक्री, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, किसी कृषक के पेड़ों के हस्तांतरण द्वारा निष्पादित नहीं की जाएगी, जब तक कि वह भूमि जिस पर ऐसे पेड़ खड़े हैं, भी हस्तांतरित नहीं की जाती है:

बशर्ते कि इस धारा की कोई भी बात किसी बाग धारक के हित की बिक्री द्वारा डिक्री के निष्पादन को प्रतिबंधित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

निर्णीत ऋणी की गिरफ्तारी और हिरासत द्वारा निष्पादित की जाने वाली डिक्री

23—कोई भी डिक्री, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, निर्णीत-ऋणी की गिरफ्तारी और हिरासत द्वारा निष्पादित नहीं की जाएगी, जब तक कि न्यायालय को यह विश्वास न हो जाए कि ऐसे ऋणी ने ऐसी डिक्री के निष्पादन को विफल करने या विलंबित करने के इरादे से अपनी किसी संपत्ति को अन्य सक्रांत किया है, हटाया है या छिपाया है।

अध्याय—IV

विविध

सिविल प्रक्रिया
संहिता, 1908
का अनुप्रयोग

24—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधान, इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत होने के अलावा, इस अधिनियम के तहत सभी कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

पंचायत का
अधिकार क्षेत्र
वर्जित

25—(1) संयुक्त प्रान्त ग्राम पंचायत अधिनियम, 1920 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी वाद, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, उस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन स्थापित पंचायत के समक्ष संस्थित नहीं किया जाएगा और यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ पर ऐसा कोई वाद इस प्रकार स्थापित पंचायत के समक्ष लम्बित है तो उसे तुरन्त उस न्यायालय को अन्तरित कर दिया जाएगा, जिसे ऐसी पंचायत के अभाव में अधिकारिता प्राप्त होती।

(2) धारा 8 के प्रावधान किसी पंचायत द्वारा पारित डिक्री पर लागू होंगे, जो इस प्रकार स्थापित हो मानो उस धारा में "सिविल न्यायालय जिसने डिक्री पारित की है या जिसे डिक्री का निष्पादन स्थानांतरित किया गया है" शब्दों के स्थान पर "तहसीलदार का न्यायालय" शब्द प्रतिस्थापित कर दिए गए हों।

नियम बनाने की
शक्ति

26—1[राज्य सरकार] इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम के अनुरूप **नियम**² बना सकती है।

निरसन और
संशोधन

27—(1) द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों को इसके चौथे स्तंभ में उल्लिखित सीमा तक निरसित किया जाता है।

(2) संयुक्त प्रांत कृषक सहायता अधिनियम, 1934 की धारा 33 में

(क) उपधारा (2) में "इस अधिनियम के अध्याय 4 के उपबन्धों तथा सूदखोरी ऋण अधिनियम, 1918 के उपबन्धों का पालन करें" शब्दों के स्थान पर "केवल उतना ब्याज दें, जो कृषक ऋणी पर लागू विधि के अधीन अनुमेय हो" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा

(ख) उपधारा (4) का लोप किया जाएगा।

प्रथम अनुसूची

(धारा 2 की उपधारा (20) देखें)

कृषक मजदूर, चूड़ी निर्माता, नाई, टोकरी निर्माता, लोहार, नाविक, कार्डर, बढ़ई, तांबाकार, ग्वाले, डेयरीवाले, मछुआरे, सामान्य मजदूर, बकरी चराने वाले, शिकारी, चमड़े का काम करने वाले, राजमिस्त्री, दाई, कुम्हार, सफाईकर्मी, पत्थर काटने वाले, दर्जी, चर्मकार, धोबी, चौकीदार, जलवाहक, बुनकर या ग्राम समुदाय के अन्य सेवक या किसी ऐसे समान वर्ग के व्यक्ति जिन्हें [राज्य सरकार]¹ समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अनुसूची में शामिल करे।

1. ए.ओ. 1950 द्वारा (प्रांतीय सरकार) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. नियमों के लिए देखें संख्या 438/139, दिनांक 14 जुलाई, 1941 राजपत्र 1941 भाग 1:ए, पृ. 229-933, सं. 2675/1-58-41, दिनांक 24 नवम्बर, 1941, भाग 1 ए, पृ. 363 (ii) 1-95-42 (1). दिनांक 7 मार्च, 1942 भाग 1 ए, पृ. 8, सं. 1167/1-95-45, दिनांक 24 सितम्बर, 1946, गजट में, 1946. पी.एल. 1-ए, पृ. 54 ए.

दूसरी अनुसूची

(धारा 27 देखें)

वर्ष	संख्या	संक्षिप्त शीर्षक	निरसन की सीमा
1934	27	संयुक्त प्रांत कृषक राहत अधिनियम, 1934	(क) धारा 3 से 8, 28 से 31, 37, 38, 40 से 42 तथा अनुसूची I से अनुसूची V, सिवाय जून, 1940 के पहले दिए गए अग्रिमों पर लागू होने के, जो इस अधिनियम में परिभाषित ऋण नहीं हैं। (ख) धारा 9 से 27, सिवाय इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले दिए गए बंधकों पर लागू होने के।
1937	10	संयुक्त प्रांत डिक्री के निष्पादन का अस्थायी स्थगन अधिनियम, 1937।	संपूर्ण।

नोट :- हिन्दी अनुवादित प्रति।